

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 36/दो-12-2/09

उमरिया, दिनांक 11/07/2020

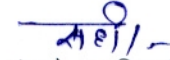
विषय :- दिनांक 13 जुलाई से 17 जुलाई, 2020 तक न्यायालयों के नियमित संचालन की अवधि बढ़ाये जाने बावत्।

संदर्भ :- रजिस्ट्री जबलपुर का परिपत्र क्र. सी/1625 दिनांक 04.07.2020 एवं बी/2407 दिनांक 10.07.2020 एवं इस कार्यालय का विविध आदेश क्र. 34/दो-12-2/09 दिनांक 04.07.2020

—00—

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के संदर्भित परिपत्र एवं इस कार्यालय का विविध आदेश क्र. 34/दो-12-2/09 दिनांक 04.07.2020 के अनुसार कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम पर विचार करते हुए मुख्यालय उमरिया एवं बाह्य न्यायालय मानपुर/बिरसिंहपुर पाली के न्यायालयों में साक्ष्यों के लेखन को छोड़कर पूर्व में जारी किये गये निर्देशों के साथ दिनांक 13 जुलाई से 17 जुलाई, 2020 न्यायालयों के नियमित संचालन की अवधि बढ़ायी जाती है।

संलग्न :- कार्यालयीन विविध आदेश क्र. 34
दिनांक 04.07.2020 की छायाप्रति।


(ए.के. भाटिया)

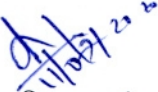
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

पृष्ठा. क्रमांक 933/दो-12-2/09

उमरिया, दिनांक 11/07/2020

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- 2 समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, उमरिया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली
- 3 समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, उमरिया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली
- 4 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उमरिया
- 5 प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया
- 6 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उमरिया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली।
- 7 कलेक्टर, जिला उमरिया
- 8 पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया
- 9 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया
- 10 लोक अभियोजक, उमरिया
- 11 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया
- 12 जेल अधीक्षक, जिला जेल, उमरिया
- 13 जिला जनसंपर्क अधिकारी, उमरिया
- 14 प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उमरिया
- 15 सिस्टम आफिसर/आई.टी. अस्सिस्टेंट/डी.एस.ए., जिला न्यायालय, उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No.B/2407_ /

Jabalpur, dated 10/07/202

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control over the spread of COVID-19 in the State of M.P., has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the District Courts/Family Courts in State of M.P. as follows :

- (i) The regular functioning in District Courts of 7 districts namely Hoshangabad, Dindori, Anuppur, Jhabua, Umariya, Mandla and Alirajpur has been extended from 13th July till 17th July 2020, as per Circular No.C/1625 dated 04.07.2020.
- (ii) The limited functioning as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020 and Circular No.Q-12 dated 4th May 2020 has been extended from 13th July, 2020 till 17 July, 2020 for the High Court as well as for remaining 43 District Courts except District Court, Indore, where only urgent matters will be heard as per circular No. Q-5, dated 25.03.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice



10.7.2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL